न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

12.04.19

**करणाराम बनाम सरकार**

अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित पत्रावली पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वादी/अपीलांट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 तथा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत खातेदारी की धोषणा, चिरस्थाई निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश कर उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 35 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 127/4 की 25 बीघा भूमि पर 30–35 वर्षो के कब्जे को नियमन करने का अनुतोष मांगा।

परीक्षण न्यायालय द्वारा वादपत्र का प्रारम्भिक परीक्षण करने पर वादी का लगातार कब्जा तथा विपरीत कब्जे के आधार पर सरकारी भूमि पर खातेदारी के सम्बन्ध में वादकारण नहीं होने के कारण वादपत्र वापिस लौटाया है, जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

अपीलांट का कथन है कि उसको पुराने कब्जे को बेदखल करने का प्रयास करने पर उसकी सुरक्षा हेतु वाद कारण पैदा हुआ तथा कब्जे के संरक्षण हेतु सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का उसका अधिकार है।

इस संबंध में राजस्व मण्डल, अजमेर तथा उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों के सृजन के तर्को को बार–बार खारिज किया जा चुका हैं। कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि विपरीत कब्जे के सिद्वान्त के आधार पर किसी अवैद्य कब्जाधारक को न्यायालय कोई अनुतोष नहीं दे सकता। वादी/अपीलांट ने विपरीत कब्जे के सिद्वान्त पर ही धोषणा तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादपत्र में भूमि के पूर्व में आवंटन या रिकार्ड तैयार करने में गलती का कोई कथन नहीं है। जिसका परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता पड़ें। वाद स्पष्ट तौर पर विधि द्वारा बाधिक होने तथा वादकारण के अभाव में प्रस्तुत किया गया है, जिसे लौटाने में परीक्षण न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner